फैक्स / ई-मेल

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–617 / छः–पु0–9–19–20(10)(8) / 89टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 5 मार्च,2019

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा संचालित परीक्षा वर्ष–2019 के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 1965) की धारा–2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 01 मार्च, 2019 से दिनांक 25 अप्रैल,2019 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–617(1) / छः–पु0–9–2019 तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना को गजट के 5 ~~फरवरी~~ मार्च 2019 के अंक के भाग–4, खण्ड–"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या–617(2) / छः–पु0–9–2019 तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) **आयुक्त**–आगरा मण्डल, आगरा।
(3) कुल सचिव, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।
(4) **जिलामजिस्ट्रेट**–आगरा / अलीगढ़ / मथुरा / कासगंज / एटा / मैनपुरी / फिरोजाबाद / हाथरस।
(5) परीक्षा नियंत्रक, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को उनके पत्रांक–सीईओ / 70 / 2019, दिनांक 16.02.2019 के सन्दर्भ में।
(6) सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक **(द्वारा–परीक्षा नियंत्रक, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा)।**
(7) उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

E:\Data Police-9\Pramod Rai R O\Notification DRAFT 7921